न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 48/2020

प्रार्थी

श्री नवाराम पुत्र लच्छाराम जाति रबारी निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गिरधारीराम पुत्र मोडाराम जाति रबारी निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. खंगाराराम पुत्र नरींगाराम जाति रबारी (देवासी)निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बाडमेर
3. लाखाराम पुत्र नरींगाराम जाति रबारी (देवासी)निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बाडमेर
4. लीलादेवी पत्नी नरींगाराम जाति रबारी (देवासी)निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बाडमेर
5. बाबराराम पुत्र मोडाराम जाति रबारी निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बाडमेर
6. मालाराम पुत्र मेघाराम जाति नाई निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बाडमेर
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 05.04.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071 –2074 सरहद मौजा पंऊ पटवार मण्डल पंऊ तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 484/93 रकबा 05.8113 हैक्टेयर भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद [illegible] पडोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे [illegible] के लिये प्रार्थी [illegible] भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.08.11 17:37:16 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा पंऊ पटवार मण्डल पंऊ तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 484/93 रकबा 05.8113 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.04.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.08.11 17:37:16 IST
Reason: SelfAttested